-1-

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान यासीन बनाम बलराम आदि

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट क्रमांक 110 / 2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
18.05.2023	पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। विद्वान अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना–पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाते समय राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। पटवारी हल्का को रिपोर्ट तैयार करने हेतु आदेशित किया गया था परन्तु पटवारी हल्का द्वारा वादी को न तो नोटिस दिया गया एवं ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया तथा वादीगण के कहे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिया। तहसीलदार राजस्व के द्वारा स्वयं मौका नहीं देखा गया। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन अपीलाण्ट के पक्ष में है। यदि अपीलाधीन निर्णय की पालना हो जाती है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। इस लिए प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में समस्त स्थिति अपील में उभयपक्ष द्वारा अपने अपने तथ्य प्रस्तुत करने के उपरान्त ही स्पष्ट हो सकेगी। प्रथम दृष्टया उभयपक्ष के हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए तथा वाद की बहुलता को रोकने के लिए स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित है। अतः आदेश दिया जाता है कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा के प्रकरण संख्या 14 / 2022 अनवान बलवान आदि बनाम कुरड़ाराम आदि में पारित आदेश दिनांक 17.02.2022 की पालना आगामी दिनांक तक स्थगित रखी जाती है। वादग्रस्त आराजी रोही मौजा चक 5 एसडीआर के खाता संख्या 150 / 72 की कुल 6.8310 है0 भूमि जिसमें नहरी 6.6050 है0 भूमि एवं रोही मौजा चक 6 एसडीआर के खाता सं0 56 / 94 की कुल 9.4240 है0 भूमि की रेस्पोडेण्ट राजस्व रिकार्ड एवं	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

बहस हेतु अवसर मांगने पर एतराज होने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। यह स्थगन आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

अधिवक्ता अपीलार्थी प्रत्यर्थीपक्ष को रजिस्टर्ड एडी नोटिस एवं अपील मीमों की पर्याप्त प्रतियॉ प्रस्तुत करे तो ही फर्द अहकाम दस्ती जारी हो। तहत का रिकार्ड तलब हो। पत्रावली दिनांक 22.06.2023 को पेश हो।

18/5/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

26/5/23

~~[illegible]~~ अपीलांट के अधिवक्ता ने पत्रावली आज पेशी में लिये जाने के लिए प्रा. पत्र प्रस्तुत किया। प्रा. पत्र के आधार पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया की अपीलांट अपील में आगे कोई कार्यवाही नही करना चाहते है अपील के पक्षकारो के मध्य लोक अदालत कि भावना से राजीनामा हो चुका है इस आधार पर अपील विड्रा करना चाहते है। लिहाजा इस आधार पर अपील विड्रा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार व नबंर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

26/5/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

257
19/5/23